



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 593) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त 2020

सं० 7/प्राधि०-4/2016-715—भारत-संविधान के अनुच्छेद-162 एवं 243, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-47 सपठित धारा-146, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-46, 47 सपठित धारा-419, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-38 तथा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा-14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

Hkkx&1

1. If{kr uke] foLrkj vkj ckjHk ।—
 - (i) यह नियमावली “बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी (शिकायत निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020” कही जाएगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. ifjHkk"kk,। & इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो ।—
 - (i) bLjdkjB से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
 - (ii) bfoHkkxB से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
 - (iii) Mvihyh; ikf/kdkj** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर पर गठित Mft yk vihyh; ikf/kdkj** एवं राज्य स्तर पर गठित MjkT; vihyh; ikf/kdkj** ;
 - (iv) BihBk lhu inkf/kdkjhB से अभिप्रेत है, जिला अपीलीय प्राधिकार का पीठासीन पदाधिकारी ;
 - (v) Bv/;fkB से अभिप्रेत है, राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष ;
 - (vi) bikjfhkd fo|ky;B से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं), जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है (
 - (vii) bek;/fed fo|ky;B से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/उत्क्रमित माध्यमिक

- विद्यालय, जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है (
- (viii) *bmPp ek;/fed fo|ky;ß* से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है (
- (ix) *^vunkfur LFkkiuk vuefr ikr@iLohdr@ekU;rk ikr ek;/fed ,o mPp ek;/fed fo|ky;^* से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जो सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो और किसी प्रबंध समिति/शासी निकाय/न्यास/निगमित निकाय/तदर्थ समिति द्वारा शासित हो ;
- (x) **“अनुदानित स्नातक महाविद्यालय”** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) की धारा-4(19) एवं 21(2)(d) में अंकित प्रावधान के तहत राज्य सरकार के पूर्वानुमति से संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त स्नातक महाविद्यालय ;
- (xi) *ßfu th fo|ky;ß* से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधिक व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्ति निकाय विनियमन संहिता के अधीन कोई अन्य सक्षम प्राधिकार से स्थापित प्री-प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो नर्सरी से कक्षा XII तक या इसमें से किसी अलग-अलग कक्षा के लिए संचालित हों, किन्तु इसमें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है ;
- (xii) *bf'k{kdb l vflkiir g &*
 (क) बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक;
 (ख) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, में संबंधित प्रबंध समिति के अधीन कार्यरत शिक्षक ;
 (ग) अनुदानित, स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/न्यास के अधीन कार्यरत शिक्षक ;
 (घ) निजी विद्यालय के शिक्षक ;
- (xiii) *bi/kkuk;/kidb l vflkiir g &*
 (क) बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत होने वाले प्रधान अध्यापक;
 (ख) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, में संबंधित प्रबंध समिति के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक ;
 (ग) अनुदानित, स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/न्यास के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक ;
 (घ) निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ;
- (xiv) **“अध्यापक”** से अभिप्रेत है, संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य, सह-प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्य ;
- (xv) **“प्राचार्य”** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) रेगुलेशन, दिशा निदेश अथवा परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय का प्राचार्य ;
- (xvi) **“सह प्राचार्य”** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) रेगुलेशन, दिशानिदेश अथवा परिनियम के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त/प्रोन्नत संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय का सह प्राचार्य ;
- (xvii) **“सहायक प्राचार्य”** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) के संगत प्रावधान के तहत संबंधित अनुदानित महाविद्यालय के प्रबंध समिति/शासी निकाय/न्यास द्वारा नियुक्त सहायक प्राचार्य;
- (xviii) *bf'k{kdbUkj dehß* से अभिप्रेत है –
 (क) बिहार सरकार द्वारा विहित प्रावधानों के तहत पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत/ प्रारंभिक प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत होने वाले कर्मी (पुस्तकालयाध्यक्ष सहित) जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
 (ख) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें

- शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, में संबंधित प्रबंध समिति के अधीन कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
- (ग) अनुदानित, स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/न्यास के अधीन कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
- (घ) निजी विद्यालय के कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
- (ङ) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) रेगुलेशन, दिशा निदेश अथवा परिनियम के अनुसार सम्यक रूप से संबंधित अनुदानित महाविद्यालय में संबंधित प्रबंध समिति/शासी निकाय/न्यास समिति के अधीन कार्यरत शिक्षकेतर कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
- (xix) *βic/k lfefr* से अभिप्रेत है – महाविद्यालयों के संचालन हेतु संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विधिमान्य रूप से गठित प्रबंध समिति, उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय)/माध्यमिक विद्यालय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विधिवत् रूप से गठित प्रबंध समिति अथवा शासी निकाय अथवा तदर्थ समिति, सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, के संचालन हेतु विधिमान्य रूप से गठित प्रबंध समिति एवं निजी विद्यालय के संचालन हेतु विधिमान्य रूप से गठित प्रबंध समिति ;
- (xx) *β'kYd fofu;eu lfefr* से अभिप्रेत है, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के अधीन गठित प्रमण्डल स्तरीय समिति ;
- (xxi) *βfcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr* से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ;
- (xxii) *βfo'ofu|ky;β* से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;
- (xxiii) *βfofu;ekoyhβ* से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया द्वारा गठित विनियमावली ;

Hkkx&2

3. *vihyh; ikf/kdkj dk xBu* I—
- (i) इस नियमावली द्वारा अपीलीय प्राधिकारों को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों एवं अधिकारों के प्रयोग हेतु राज्य सरकार जिला स्तर पर जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन करेगी। इसमें दो सदस्य होंगे, जो पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- (ii) जिला अपीलीय प्राधिकार एवं प्रमण्डल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर राज्य अपीलीय प्राधिकार का गठन राज्य सरकार करेगी। इसमें दो अध्यक्ष होंगे।
- (iii) प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों/अध्यक्षों के बीच कार्यक्षेत्र का आवंटन विभाग समय-समय पर कर सकेगी।
4. *vihyh; ikf/kdkj dh ljpu* I—
- (i) जिला अपीलीय प्राधिकार में दो पीठासीन पदाधिकारी होंगे। एक पीठासीन पदाधिकारी बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जबकि दूसरे पीठासीन पदाधिकारी बिहार शिक्षा सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे।
- (ii) उप धारा (i) में किसी बात को होते हुए भी, राज्य सरकार किसी एक जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को किसी दूसरे जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।
- (iii) राज्य अपीलीय प्राधिकार में दो अलग-अलग अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होंगे, जबकि दूसरे अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधान सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे। राज्य सरकार किसी एक अध्यक्ष को किसी दूसरे अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।
5. *ihBklhu inkf/kdkjh@v/;{k d : i e euku;u@fu;fDr gr vgrr* I—
- (i) कोई व्यक्ति तब तक किसी जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मनोनयन/नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह –
- (क) जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत न रहा हो ; अथवा
- (ख) बिहार शिक्षा सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधीन लेबल-13 के वेतनमान में कार्यरत न रहा हो ;

- (ii) कोई व्यक्ति तब तक राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन/नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जबतक कि वह &
- (क) माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में कार्यरत नहीं रहा हो, अथवा
- (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में प्रधान सचिव से अन्यून स्तर के पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्यरत न रहा हो।
6. *ihBklhu inkf/kdkjh@v/;fk dk dk;dky* ।—जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी, योगदान की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो कम हो, के लिए अपना पद धारित करेंगे। इसी प्रकार, राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष योगदान की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो कम हो के लिए पद धारित करेगा।
7. *vihyh; ikf/kdkj d ihBklhu inkf/kdkjh@v/;fk dh fu;fDr* ।—
- (i) शिक्षा विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- (ii) राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति विभाग की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री, बिहार के अनुमोदन से की जाएगी।
8. *inR;kx ,o in l gVk;k tkuk* ।—
- (i) जिला अपीलीय प्राधिकार का पीठासीन पदाधिकारी राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्तलिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा :
- परन्तु, जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद छोड़ने की अनुमति न दी जाय अथवा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि के तीन माह की समाप्ति न हो जाय अथवा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति पदभार ग्रहण न कर ले अथवा जब तक उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाय, जो भी पहले हो, तबतक वह अपने पद पर बने रहेंगे।
- (ii) राज्य सरकार जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को दुर्व्यवहार, कार्य असमर्थता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, सरकार द्वारा प्रवृत्त नियमों के विरुद्ध आदेश पारित करने, धारित करते हुए वेतन पर अन्य नियोजन में होने के कारण पद से हटा सकेगी। किन्तु पद से हटाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।
- (iii) राज्य सरकार को राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष स्वलिखित सूचना द्वारा पद त्याग कर सकेंगे। कार्य-असमर्थता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार के कारण सरकार द्वारा उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पद से हटाया जा सकेगा।
9. *vihyh; ikf/kdkj d ihBklhu inkf/kdkjh@v/;fk dk oru HkUkk ,o lok "kUki* ।—
- (i) जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों को वही वेतन भत्ते की राशि, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त थी, से पेंशन की रूपांतरित राशि सहित प्राप्त पेंशन आदि को घटाकर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अनुमान्य भत्ते प्राप्त होंगे।
- (ii) राज्य अपीलीय प्राधिकार के दोनों अध्यक्षों को वही वेतन भत्ते (पेंशन की रूपांतरित राशि सहित प्राप्त पेंशन आदि को घटाकर) एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश को प्राप्त है।
- (iii) जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी एवं राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष वर्ष में 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 20 दिनों के विशेष अवकाश के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष में 60 दिनों तक बिना वेतन का असाधारण अवकाश की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आकस्मिक अवकाश का स्वयं उपभोग करते हुए उसकी सूचना विभाग को देंगे। विशेष अवकाश एवं असाधारण अवकाश की स्वीकृति विभाग द्वारा दी जायेगी।
10. *vihyh; ikf/kdkj dk LVkQ* ।—
- (i) अपीलीय प्राधिकार के कृत्यों के निर्वहन में सहयोग हेतु अपेक्षित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रकृति एवं कोटि विभाग अवधारित करेगी और ऐसे पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी की सेवा जिन्हें उचित समझे, अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करायेगी।
- (ii) अपीलीय प्राधिकार के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो विभाग द्वारा समय-समय पर विहित की जाएगी।
- (iii) अपीलीय प्राधिकार के अधिकारी एवं कर्मचारी यथास्थिति, पीठासीन पदाधिकारी/ अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

11. *viyh; ikf/kdkj d dk;ky; lpkyu gr jkf'k* ।-वित्तीय वर्षवार अपीलीय प्राधिकार के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक राशि की व्यवस्था की जायेगी।

12. *cid [kkrk ,o lpkyu* ।- अपीलीय प्राधिकार का अपना बैंक खाता एवं मुहर होगा। बैंक खाता का संचालन राज्य सरकार के निदेश के अनुसार किया जायेगा।

Hkkx & 3

13. *ftyk viyh; çkf/kdkj d dR; ,o "kfDr;k* ।-

- (क) (i) बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमावली/प्रावधान के अधीन पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक/शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों एवं परिवादों का निवारण करेगा।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, के प्रबंध समिति द्वारा प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों एवं परिवादों का निवारण करेगा।
- (iii) अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत/मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अनुदानित महाविद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अनुदान वितरण से संबंधित शिकायतों एवं परिवादों का निवारण करेगा।
- (iv) निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के बीच के विवाद का निपटारा करेगा।
- (v) पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए विहित सेवाशर्त के क्रियान्वयन पर सक्षम पदाधिकारी/समिति के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित प्रधान अध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा दायर अपील का निवारण करेगा।
- (vi) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, के प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए विहित सेवाशर्त के क्रियान्वयन पर प्रबंध समिति के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा दायर अपील का निवारण करेगा।
- (vii) अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत/मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्य/सह-प्राचार्य/सहायक प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए विहित सेवाशर्त के क्रियान्वयन पर प्रबंध समिति के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित प्राचार्य/सह-प्राचार्य/सहायक प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा दायर अपील का निवारण करेगा।
- (viii) अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी परिवाद/विवाद के निष्पादन के निमित्त जाँच-पड़ताल एवं सुनवाई करते हुए आदेश पारित करेंगे।
- (ix) अपीलीय प्राधिकार सम्बन्धित जिला के शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी से मामले की जाँच-पड़ताल करवा सकेंगे।
- (ख) अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय परिवादों/अपीलों से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेजों का संधारण समुचित रूप से करेगा।
- (ग) सभी प्रकार की परिवादों/अपील उसके उत्पन्न होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किये जायेंगे। 30 दिनों के बाद प्राप्त परिवाद/अपील के दायर करने में हुए विलंब को युक्तियुक्त आधार पर प्राधिकार क्षान्त कर सकेगा।
- (घ) जिला अपीलीय प्राधिकार को किसी मामले की जाँच पड़ताल और किसी मामले की सुनवाई करते समय वही शक्तियाँ होगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, सिविल न्यायालय में निहित हो यथा :-
- (i) व्यक्तियों को सम्मन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए

- बाध्य करने;
- (ii) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने ;
- (iii) शपथ पर साक्ष्य लेने ;
- (iv) साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण हेतु सम्मन जारी करने।
- (ड.) अपीलीय प्राधिकार सामान्यतः अपील/परिवाद प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर किसी अपील/परिवाद/विवाद का निपटारा करेगा।
- (च) विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए कृत्य एवं शक्ति का निर्वहन करना होगा।
14. *jkT; vihyh; ikf/kdkj d dR; ,o 'kfä; k* ।—
- (क) प्राधिकार, कोई आवेदन तबतक सामान्यतः स्वीकार नहीं करेगा जबतक उसका समाधान न हो जाय कि आवेदक शिकायतों के निराकरण के संबंध में सुसंगत प्रावधान के अधीन उपलब्ध सभी विकल्पों का उपभोग कर लिया गया हो।
- (ख) जहाँ आवेदन, शिकायतों के संबंध में अंतिम आदेश किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर न दिया गया हो, वहाँ उसे ग्रहण नहीं किया जाएगा। किन्तु प्राधिकार को युक्तियुक्त कारणों से समय सीमा को क्षान्त करने का अधिकार होगा।
- (ग) जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेंगे।
- (घ) बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के अधीन गठित प्रमण्डल स्तरीय “शुल्क विनियमन समिति” के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेंगे।
- (ड.) जिला अपीलीय प्राधिकार को किसी मामले की जाँच-पड़ताल और किसी मामले की सुनवाई करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय में निहित हो :-
- (i) व्यक्तियों को सम्मन, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने।
- (ii) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने।
- (iii) शपथ पर साक्ष्य लेने।
- (iv) साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण हेतु सम्मन जारी करने।
- (च) विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए कृत्य एवं शक्ति का निर्वहन करना होगा।
15. *iufoykdu dh 'kfDr* ।— अपीलीय प्राधिकार अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसमें पाई गई किसी त्रुटि का सुधार कर सकेगा।
16. *l tk nu dh 'kfä* ।— आदेश/निदेशों के अनुपालन नहीं होने अथवा पक्षकार द्वारा अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन के संबंध में मामला दायर करने की दशा में :-
- (i) संबंधित पक्षकार पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।
- (ii) अपीलीय प्राधिकार उत्तरदायी पक्षकार पर 50,000 (पचास हजार) रु० तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। दंड की राशि विभाग द्वारा संसूचित/विनिर्दिष्ट शीर्ष में ट्रेजरी में जमा की जायेगी। दंड की राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।
- (iii) अपीलीय प्राधिकार सम्बन्धित विभाग को बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं अन्य संगत नियमावली के प्रावधानों के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा सक्षम स्तर कर सकेगा।
17. *viyh; çkf/kdkj d l efk dk; okgh dk U; kf; d dk; okgh gkuk* ।— अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराएँ 193, 219 एवं 228 के अर्थात्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।
18. *viyh; ikf/kdkj d ihBklhu inkf/kdkjh@v; {k rFkk LVkQ dk ykd lod gkuk* ।— इस नियमावली के अधीन उपबंधित अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष/पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा-21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।
19. *vf/koDrk dh lgk; rk yu rFkk iLr rhdj.k inkf/kdkfj; k dh fu; fDr dju dk vf/kdkj*
- (i) इस नियमावली के अधीन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आवेदन करने वाला व्यक्ति प्राधिकार के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपनी पसंद के अधिवक्ता की सहायता ले सकेगा।
- (ii) विभाग/पंचायतीराज संस्थान/नगर निकाय संस्थान/विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालय/अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं निजी विद्यालय

के प्रबंधन समिति प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए, एक या अधिक अधिवक्ताओं को अथवा अपने पदाधिकारियों में से किसी को प्राधिकृत कर सकेगा और इसके द्वारा इस रूप में प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति प्राधिकार के समक्ष, किसी आवेदन के संबंध में, उनका मामला प्रस्तुत कर सकेगा।

20. *lnHkkoio'd dh x;h dkj'okb dk ljj{k.k* ।—अध्यक्ष/पीठासीन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी बात के लिए, जो सद्भावपूर्वक किया गया हो या इस नियमावली या उसके अधीन बने किसी नियम या आदेश के अनुसरण में किये जाने के आशय से हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

21. *fofu;ekoyh cuku dh 'kfDr* ।—पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विभाग अथवा विभाग से सहमति प्राप्त कर राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा इस नियमावली के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनियमावली बना सकेगी।

22. *vuJo.k ,o ifronu* ।—

- (i) अपीलीय प्राधिकार अपने आदेशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा।
- (ii) अपीलीय प्राधिकार के द्वारा प्राप्त परिवाद/अपीलों की संख्या तथा निपटाये गये परिवाद/अपीलों की संख्या के सम्बन्ध में मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) अपीलीय प्राधिकार द्वारा दी गयी सजा का ब्यौरा भी विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।

23. *dfBukb;k dk nj dju dh 'kfä* ।—इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में होनेवाली कठिनाईयों को सम्यक् विचारण के बाद विभाग अधिसूचना के माध्यम से दूर कर सकेगी।

24. *viyh; çkf/kdkj dk fo?kVu* ।—अपीलीय प्राधिकार के विघटन की स्थिति में, इसकी अस्तियाँ एवं दायित्व विभाग में निहित हो जायेंगी।

25. *fuj lu ,o 0;kofr* ।—

- (i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से “बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली, 2015” निरसित मानी जायेंगी।
- (ii) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से “बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार नियमावली 2015” निरसित मानी जायेंगी।
- (iii) ऐसे निरसन के होने पर भी, पूर्व से नियुक्त प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन नियुक्त माने जायेंगे, मानो उस दिन यह नियमवाली लागू थी। साथ ही, प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में या उसके अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इसके अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी मानो उस दिन यह नियमवाली लागू थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
vkjE dE egktu]
vij e[; lfpoA

Education Department

Notification

The 25th August 2020

No. 07/Pradhi-4/2016-715—**Preamble:-** In exercise of the powers conferred under Article 162 and 243, Section-47 read with Section-146 of Bihar Panchayat Raj Act, 2006 Section-46, 47 read with Section-419 of Bihar Municipal Act, 2007, Section-38 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and Section-14 of the Bihar Private Schools (Fee Regulation) Act, 2019, the Governor of Bihar has framed the following Rules:-

Part-1

1. **Short title, extent & commencement:-**

- (i) These Rules may be called “The Bihar State Teaching Institutions Teachers and Employees (Disputes Redressal and Appeal) Rules, 2020.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of its Notification.

2. **Definitions:-** In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or context:-

- (i) **“Government”** means, Govt. of Bihar.
- (ii) **“Department”** means, Education Department.
- (iii) **“Appellate Authority”** means, District Appellate Authority constituted at the District level and State Appellate Authority constituted at the State level, under the provisions of these Rules.
- (iv) **“Presiding Officer”** means, Presiding Officer of District Appellate Authority.
- (v) **“Chairman”** means, Chairman of State Appellate Authority.
- (vi) **“Elementary School”** means, such Govt./Nationalised Primary and Middle School (Including aided by the State Govt. and aided Minority Schools) in which education is being imparted upto 5th or 8th standard.
- (vii) **“Secondary School”** means, Govt./Nationalised Secondary School/ Project Secondary School in which education is being imparted upto standard 10th.
- (viii) **“Senior Secondary School”** means, Govt./Nationalised/Project Senior Secondary School/ Upgraded Senior Secondary School in which education is being imparted upto standard 12th.
- (ix) **“Aided/Permission for establishment/Recognised Secondary and Senior Secondary School”** means, such Schools which is aided by the Govt. and being governed by any Managing Committee/ Governing Body/Trust/Municipal body/Ad hoc Committee.
- (x) **“Aided Degree College”** means, such Degree Colleges being affiliated by concerned University under the provisions of Section 04 (19) and 21 (2) (d) of Bihar State University Act, 1976 (Amended from time to time) after obtaining prior permission of the State Govt.
- (xi) **“Private School”** means, the School, established and administered or maintained by a person or body of persons, imparting pre-primary, primary, middle, Secondary and Senior Secondary Education, i.e. conducting classes from Nursery to Class XII or a part there of, affiliated to a Board recognized by the Government. But, it does not include, an

aided school or a school established and administered or maintained by the Central Government, State Government or any other local authority.

(xii) **“Teacher”** means:-

- A. Teachers working under Panchayati Raj Institutions and Urban body Institutions in Govt./Nationalised Primary and Middle School, Secondary School, Senior Secondary Schools as per rules notified by the Govt. of Bihar from time to time.
- B. The teachers working under the Managing Committee of 108 Elementary Schools aided by the State Govt. (Including Minority Schools) in which education is being imparted upto standard 5th or 8th.
- C. Teachers working under the Managing Committee/Trust in Aided, permission for establishment, recognised Secondary and Senior Secondary Schools.
- D. Teachers of Private Schools.

(xiii) **“Headmaster”** means:-

- A. Headmaster, who would work under Panchayati Raj Institutions and Urban body Institutions in Govt./Nationalised Primary and Middle School, Secondary School, Senior Secondary Schools as per rules notified by the Govt. of Bihar from time to time.
- B. The Headmaster working under the Managing Committee of 108 Elementary Schools aided by the State Govt. (Including Minority Schools) in which education is being imparted upto standard 5th or 8th.
- C. Headmaster working under the Managing Committee/Trust in Aided, permission for establishment, recognised Secondary and Senior Secondary Schools.
- D. Headmaster of Private Schools.

(xiv) **“Adhyapak”** means, Principal of concerned Colleges, Vice-Principal and Assistant Principal.

(xv) **“Principal”** means, Principal who are duly appointed or promoted under the provisions of Bihar State University Act, 1976 (Amended from time to time), Regulations, Guidelines or relevant Bye-laws, in affiliated aided college.

(xvi) **“Vice Principal”** means, Vice Principal who are duly appointed or promoted under the provisions of Bihar State University Act, 1976 (Amended from time to time), Regulation, Guidelines or relevant Bye-laws, in affiliated aided college.

(xvii) **“Assistant Principal”** means, Assistant Principal who are duly appointed or promoted under the provisions of Bihar State University Act, 1976 (Amended from time to time), Regulation, Guidelines or relevant Bye-laws, in affiliated aided college, by the Managing Committee/Trust/Governing Body.

(xviii) **“Non Teaching employee”** means:-

- A. Employees (Including Librarian), who are not indulged in teaching activities, working under Panchayati Raj Institutions and Urban body Institutions in Govt./Nationalised/ Project Secondary School, Senior Secondary Schools as per rules notified by the Govt. of Bihar from time to time.

- B. Employee working under the Managing Committee of 108 Elementary Schools aided by the State Govt. (Including Minority Schools) in which education is being imparted upto standard 5th or 8th who are not indulged in teaching activities.
 - C. Employee working under the Managing Committee/Trust in Aided, permission for establishment, recognised Secondary and Senior Secondary Schools, who are not indulged in teaching activities.
 - D. Employee of Private Schools, who are not indulged in teaching activities.
 - E. Employee working under duly constituted Managing Committee/ Governing body/Trust of concerned aided College under the Regulation/Guidelines/ Bye-law of Bihar State University Act, 1976 (Amended from time to time), who are not indulged in teaching activities.
- (xix) **“Managing Committee”** means, Managing Committee of the Colleges being duly constituted by the concerned University, legally constituted Managing Committee of Senior Secondary/Inter College/Secondary School, Governing body or Ad-hoc Committee duly constituted by the Bihar School Examination Board/ duly constituted Managing Committee of aided 108 Elementary Schools (Including Minority Schools) in which education is being imparted upto standard 5th or 8th/ Managing Committee of private School being legally constituted for conducting the general affairs of concerned institutions..
- (xx) **“Fee Regulation Committee”** means, Divisional level Committee constituted under Bihar Private Schools (Fee Regulation) Act, 2019.
- (xxi) **“Bihar School Examination Board”** means, Bihar School Examination Board established by the State Govt.
- (xxii) **“University”** means, University established under Bihar State University Act, 1976.
- (xxiii) **“Regulation”** means, Regulation framed under the prescribed procedure of these Rules.

Part-2

3. **Constitution of Appellate Authority:-**

- (i) The State Govt. shall constitute District Appellate Authority at the District level who shall perform the powers and functions, conferred under these Rules. There will be two members who shall act as Presiding Officer.
- (ii) The State Govt. shall constitute State Appellate Authority at the State level, having two chairman to hear appeal against the decisions/orders passed by the District Appellate Authority and Divisional Level Fee Regulation Committee.
- (iii) The scope and distribution of work between the Presiding Officers / Chairman of the Appellate Authority shall be determined by the department, from time to time.

4. **Structure of Appellate Authority:-**

- (i) There shall be two Presiding Officers in the District Appellate Authority. One Presiding Officer shall be retired officer of Bihar Judicial Service whereas the other Presiding Officer shall be retired officer of Bihar Education Service or Bihar Administrative Service.

- (ii) Notwithstanding anything contained in sub-section (i), the State Govt, may authorise the Presiding Officer of any District Appellate Authority to discharge the function of Presiding Officer of other District Appellate Authority.
- (iii) There shall be two separate Chairman in State Appellate Authority. One of the Chairman shall be the retired Justice of Hon'ble High Court whereas the another Chairman shall be retired officer of Indian Administrative service in the rank, not below than Principal Secretary. The State Govt, may authorise any Chairman to discharge the duty of another Chairman.

5. *Qualification for nomination/appointment as Presiding Officer/ Chairman:-*

- (i) A person shall not be qualified for nomination/appointment to the post of Presiding Officer of the District Appellate Authority unless:-
 - a. He has held the post of District Judge or Additional District Judge, or
 - b. He has remained in the pay scale of level- 13 of Bihar Education Service or Bihar Administrative Service.
- (ii) A person shall not be qualified for nomination/ appointment as Chairman of State Appellate Authority unless:-
 - a. He has worked as a Justice of Hon'ble High Court, or
 - b. He has worked not below the rank of Principal Secretary for not less than two years in the cadre of Indian Administrative Service.

6. *Tenure of Presiding Officer/Chairman:-* The Presiding Officer of the District Appellate Authority shall hold his post for 5 years from the date of joining or attaining 70 years of age, whichever is earlier. Likewise, the Chairman of the State Appellate Authority shall hold the post for 5 years from the date of joining or attaining 70 years of age whichever is earlier.

7. *Appointment of Presiding Officer/Chairman of the Authority:-*

- (i) The Presiding Officer of the District Appellate Authority shall be appointed on the recommendation of the Screening Committee headed by the Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of the Education Department after obtaining approval of Departmental Minister.
- (ii) The Appointment of the Chairman of State Appellate Authority shall be made on the recommendation of the Department after obtaining approval of the Chief Minister.

8. *Resignation and removal from the post:-*

- (i) The Presiding Officer of the District Appellate Authority may resign his post by giving self written intimation to the State Govt. But the State Govt. shall not grant permission to the Presiding Officer of the District Appellate Authority to renounce his post before expiry of three months from the date of receipt of such intimation or till the duly appointed person assumes the charge as his successor or till his tenure does not expire, whichever is earlier, till then he shall remain on his post.
- (ii) The State Govt. shall have discretion to remove the Presiding Officer of the District Appellate Authority on the charge of misbehaviour, incapacity to work, dereliction of duty, passing orders ignoring the rules or holding another post simultaneously. However, he shall be provided adequate opportunity of hearing before removal from his post.

- (iii) The Chairman of the State Appellate Authority may resign from his post by giving self written intimation to the State Govt. The State Govt. may remove him from his post on the ground of incapacity to work, dereliction of duty or misbehaviour after providing adequate opportunity of hearing.

9. *Service Conditions, Pay and Allowances of the Presiding Officer/ Chairman of the Appellate Authority:-*

- (i) The Presiding Officer of District Appellate Authority shall be entitled for same amount of pay and allowances, which were admissible at the time of retirement (after deducting the amount of admissible pension etc, including the amount of commuted pension). In addition to it he will be entitled for the allowances admissible to the District & Sessions Judge.
- (ii) Both the Chairman of State Appellate Authority shall have the same pay and allowances (after deducting amount of admissible pension etc, including commuted pension) and facilities being provided to the Justice of Hon'ble Patna High Court.
- (iii) The presiding officer of the District Appellate Authority and the Chairman of the State Appellate Authority shall be entitled for casual leave for 16 days and special leave for 20 days in a year. Besides, they may avail extraordinary leave without pay for 60 days in a year. They may avail casual leave and accordingly inform the same to the Department. The special leave and extraordinary leave shall be sanctioned by the Department.

10. *Staffs of the Appellate Authority:-*

- (i) The State Govt. shall determine the category and class of officers and employees to co-operate in the affairs of the Appellate Authority and shall provide the services of such officers and employees to the Appellate Authority, as it think appropriate.
- (ii) The service conditions, pay and allowances of the officers and other employees would be the same as is being prescribed by the Department, from time to time.
- (iii) The officers and the employees of the Appellate Authority shall discharge their duty under the general supervision of the Presiding Officer/Chairman, as the case may be.

11. *Fund for running of the office of the Appellate Authority.*—The State Govt. shall make provision for the required fund financial year wise to manage the affairs of the Appellate Authority.

12. *Bank Account & its operation.*—The Appellate Authority will have its own Bank account and seal. The operation of Bank account shall be done as per direction of the State Govt.

Part-3

13. *Powers and Function of the District Appellate Authority:-*

- (A) (i) To resolve the disputes and complains pertaining to procedure of recruitment under Panchayati Raj Institutions and Urban body Institutions in Govt./Nationalised Primary and Middle School, Secondary School, Senior Secondary Schools as per provisions/ rules notified by the Govt. of Bihar from time to time
- (ii) To resolve the disputes and complaints pertaining to recruitment of Headmaster/Teacher/ Non-teaching staffs and promotion to the post of Headmaster by the Managing Committee of 108 Govt. Aided

- Elementary Schools (Including Minority Schools) in which the education is imparted upto 5th or 8th standard.
- (iii) To resolve the disputes and complaints pertaining to process of recruitment and distribution of Grants-in-Aid with respect to Aided/ Permission for Establishment / Recognised Secondary and Senior Secondary Schools and Aided Colleges.
 - (iv) To resolve the disputes between the Headmaster/Teacher/Non-teaching staffs and the Managing Committee of Private Schools.
 - (v) To resolve such disputes pertaining to Headmasters/ Teachers/ Non-teaching Staffs working under Panchayati Raj Institutions and Urban body Institutions in Govt./Nationalised Primary and Middle School, Secondary School, Senior Secondary Schools, who in case of being aggrieved by execution of the service condition, as prescribed, may prefer Appeal against the decision of the competent authority/ committee.
 - (vi) To resolve the disputes of execution of service condition of Headmasters/ Teachers/ Non-teaching staffs of Govt. aided 108 Elementary Schools (Including Minority Schools) in which education is imparted upto standard 5th or 8th and in case of any appeal being preferred by the Headmaster/teachers/Non-teaching staffs being aggrieved by the decision of the concerned Managing Committee.
 - (vii) To resolve the disputes pertaining to execution of service condition of Principal/Vice-Principal/Assistant Principal/Headmaster/Teachers/ Non-teaching staffs of Aided, Permission for Establishment, Recognised Secondary/Senior Secondary Schools and Aided Colleges and in case of any appeal being preferred by the concerned Principal/ Vice-Principal/ Assistant Principal/Headmaster/ Teacher/Non-teaching staffs being aggrieved by the decision of the concerned Managing Committee.
 - (viii) The presiding officer of the Authority after making necessary verification and after hearing the parties shall pass the order to dispose of the disputes/complaints.
 - (ix) The authority shall have jurisdiction to get the matter enquired into by any officer of the Education Department of the district or any administrative officer.
- (B) The office of the Appellate Authority shall duly maintain all the records of the complaints/Appeals.
- (C) All the Complaints/Appeals shall be filed before the District Appellate Authority within 30 days from the date of cause of action. The Appellate Authority will have jurisdiction to condone the delay in preferring the Complaints/ Appeals after expiry of 30 days on the basis of reasonable grounds.
- (D) The District Appellate Authority shall have the same powers for enquiry of any matter or hearing which has been vested in the Civil Court under Civil Procedure Code, 1908. While adjudicating any dispute the following powers shall be exercised:-
- (i) To issue summons to ensure the presence of the persons and to compel them to produce evidence verbal or written through affidavit or to produce the documents/ record.

- (ii) To search the record and to get the same inspected.
- (iii) To tender evidence on Oath.
- (iv) To issue summons to produce witnesses or record for inspection.
- (E) The Appellate Authority shall ordinarily dispose of Complaint/Appeal within 90 days from the date of its receipt.
- (F) The Authority shall exercise the functions and powers being entrusted by the Department from time to time.

14. ***Powers and Function of State Appellate Authority:-***

- (A) The Authority shall not ordinarily accept any application unless being satisfied that the applicant has availed all the alternative remedy available to him to resolve the dispute under relevant provisions.
- (B) The Authority shall not entertain the application/Complaints unless the same has been filed within 30 days from the date of passing of the final order. But the Authority will have jurisdiction to condone the delay in filing the appeal on the basis of reasonable grounds.
- (C) The Authority shall hear the appeal against the decision of District Appellate Authority.
- (D) The Authority shall hear the appeal against the decisions of the Divisional level Fee Regulation Committee constituted under Bihar Private Schools (Fee Regulation) Act, 2019.
- (E) The State Appellate Authority shall have the same powers for enquiry of any matter or hearing which has been vested in the Civil Court under Civil Procedure Code, 1908. While adjudicating any dispute the following powers shall be exercised:-
 - (i) To issue summons to ensure the presence of the persons and to compel them to produce evidence verbal or written through affidavit or to produce the documents/ record.
 - (ii) To search the record and to get the same inspected.
 - (iii) To tender evidence on Oath.
 - (iv) To issue summons to produce witnesses or record for inspection.
- (F) The Authority shall exercise the functions and powers being entrusted by the Department from time to time.

15. ***Power of Review.***—The Appellate Authority will have jurisdiction to review its own order and it shall rectify any error in the order.

16. ***Power to impose Punishment.***—In case of non-compliance of the order/direction or in case of any complaints by the party for compliance of the order:-

- (i) The Appellate Authority shall impose punishment against concerned party but he will be given adequate opportunity of hearing before imposing punishment.
- (ii) The Appellate Authority may impose penalty upto Rs. 50,000/- (Fifty thousand only) upon the answerable party. The amount of penalty shall be deposited in the Treasury under the head indicated by the Department. The amount of penalty shall be recoverable by way of Public demand.
- (iii) The Appellate Authority shall have jurisdiction to make recommendation to the concerned Department to initiate Departmental proceeding or to take necessary action against the delinquent employee

under the provisions of Bihar Service Code/Bihar Panchayat Raj Act 2006/Bihar Municipal Act 2007 and other relevant provisions.

17. **Function of the Authority shall be judicial function.**—All the function of the Authority shall be deemed to be the judicial function under the provisions of Section-193, 219 and 228 of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

18. **Presiding Officer/Chairman and Employee of the Appellate Authority being Public servant.**—The Chairman/ Presiding Officer and other Officers and the employees of the Appellate Authority under these Rules shall be deemed to be Public Servant under the provisions of Section-21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

19. **Power to take assistance from Advocates and to appoint Presenting Officers:-**

- (i) The applicant under these Rules may appear in person to present his matter before the authority or may take assistance from any advocate of his choice.
- (ii) The Department/Panchayati Raj Institutions/Urban Body Institutions/ University/ Affiliated College/ Aided Secondary and Senior Secondary School and the Managing Committee of private Schools shall authorise one or more than one advocates or its officers to present their matter and such authorised person may present their case before the authority.

20. **Protection from the action taken in good faith.**—No case or any legal action can be instituted against the Chairman/Presiding Officer or any Officer authorised by him for the acts done in good faith in purported exercise of or in implementation of the provisions of these Rules or in respect of any order.

21. **Power to frame Regulations.**—The Department or the State Appellate Authority after obtaining concurrence from the Department may frame Regulations by issuing Notification for execution of the provisions of these rules which shall not be inconsistent with the existing Rules.

22. **Monitoring and Report:-**

- (i) The Appellate Authority shall monitor the implementation of its orders.
- (ii) The Appellate Authority shall submit monthly and annual report to the Department with respect to the number of Complaints and Appeals received and the number of Cases/ Appeals disposed of.
- (iii) The description with respect to imposed punishment shall also be shared with the department.

23. **Power to remove difficulties.**—The State Govt. shall remove the difficulties after due deliberation in implementation of the provisions of these Rules, by issuing Notification.

24. **Dissolution of the Appellate Authority.**—In case of dissolution of the Appellate Authority, the assets and liabilities of the Appellate Authority shall be vested in the Education Department.

25. **Repeal and Savings:-**

- (i) The Bihar State School Teacher and Employees Redressal Grievance Rules, 2015 shall be deemed to be repealed from the date of Notification of these Rules.
- (ii) The Bihar Aided Teaching Institution Authority Rules, 2015 shall be deemed to be repealed from the date of Notification of these rules.
- (iv) The Presiding Officer/ Chairman appointed prior to repealing of these Rules shall be deemed to have been appointed under these Rules, as if

these Rules were prevalent at that point of time. Besides, the work done or any action taken in exercise of powers conferred by the said Rules shall be deemed to be done or action taken in these Rules, as if these Rules were prevalent at that point of time.

By the order of the Governor of Bihar,
R.K.Mahajan,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>